भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- *81

उत्तर देने की तारीख -05/02/2026

जनजातीय योजनाओं का कार्यान्वयन

*81. श्री वीरेन्द्र सिंह:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में जनजातीय आबादी के लिए स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आवास जैसी मूलभूत सुविधाएं अभी भी पर्याप्त रूप से सुलभ नहीं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) क्या चंदौली जिले में वनबंधु कल्याण योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देशभर के जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार सृजन, कौशल विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम चला रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या चंदौली जिले के जनजातीय लोग उक्त कार्यक्रम से लाभान्वित हो रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) के माध्यम से जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली के संरक्षण के लिए कोई ठोस कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री
(श्री जुएल ओराम)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 05.02.2026 को पूछे जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *81 के उत्तर के संबंध में संदर्भित विवरण

(क से ख): माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान में 17 लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 63,843 गांवों में बुनियादी ढांचे के अंतरों को भरना, छात्रावास, आंगनवाड़ी सुविधाएं और सचल चिकित्सा इकाइयां जैसी सामाजिक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना और 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले सहित 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातियों को आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए वन धन विकास केंद्र स्थापित करना है। अभियान का कुल बजटीय परिव्यय 79,156 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा: 56,333 करोड़ रुपये और राज्य हिस्सा: 22,823 करोड़ रुपये) है।

लक्षित आबादीः अभियान 500 या उससे अधिक की आबादी वाले विशिष्ट जनजातीय बहुल गांवों को लक्षित करता है, जहां कम से कम 50% जनजातीय हैं, और आकांक्षी ब्लॉकों में कम से कम 50 जनजातीय आबादी वाले गांव हैं।

डीएजेजीयूए के तहत उत्तर प्रदेश में जनजातीय कार्य मंत्रालय के उपायों का ब्यौरा

उपाय	पीएसी द्वारा अनुमोदित राशि (लाख में) *	जारी की गई कुल निधि (लाख में)
आश्रम/जनजातीय क्षेत्र के स्कूलों में शौचालय परिसर का निर्माण, आवासीय विद्यालय में शिक्षक और कर्मचारी आवास (स्टाफ क्वार्टर)	745.00	301.24
जिला और राज्य स्तर पर एफआरए सेल (प्रकोष्ठ)	34.52	34.52
टीएमएमसी	100.00	100.00
एससीडी जागरूकता और परामर्श/आशा मानदेय + टीओटी	8.00	8.00

सभी राशि लाख रुपये में है।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत, उत्तर प्रदेश राज्य के चंदौली जिले के दो विकास ब्लॉकों–वाहनिया और नौगढ़ के 17 गांवों की पहचान की गई है। जनजातीय समुदाय के सदस्यों की

पहचान करते समय, उन्हें 17 अलग-अलग मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं के तहत कवर किया जा रहा है।

यह ध्यान देने योग्य है कि भारत के राजपत्र, सीजी-डीएल-ई-24122022-241400 दिनांक 24.12.2022 के अनुसार, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 (सी.ओ. 78) को संशोधित किया गया था, जिसमें अनुसूची की प्रविष्टि 6 में, "मिर्जापुर और सोनभद्र" शब्दों को "चंदौली" सहित अतिरिक्त जिलों को शामिल करने के लिए प्रतिस्थापित किया गया था।

इसके अलावा, डीएजेजीयूए के तहत शामिल किए गए चंदौली जिले के 17 गांवों और अजजा आबादी की सूची:

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	जी पी का नाम	क्र.सं.	गांव का नाम	कुल जनसंख्या	अजजा जनसंख्या
1	चहनिया	रामगढ़	1	रामगढ़	6847	188
		मझिलेपुर	2	मझिलेपुर	1592	55
		अगस्तिपुर	3	अगस्तिपुर	1474	150
		टांडा कलां	4	टांडा कलां	4644	61
		ज़ुरा हराधन	5	ज़ुरा हराधन	5781	138
		चहनिया	6	चहनिया	1517	61
		भलेहटा	7	भलेहटा	2749	54
		बछौली	8	केशवपुर	383	59
		रमौली	9	रमौली	3061	155
		बिशुनपुरा	10	बंशीपुर	790	92
		अमिलाई	11	अमिलाई	2272	94
		सिकरौरा कलां	12	सिकरौरा कलां	626	98
		महरुआरा	13	महरुआरा	2149	54
		खरुद्दीनपुर	14	जमूरी	1135	83
		रौना	15	भीखापुर	428	130
2	नौगढ़	देवरी कलां	16	नोनवत	641	364
		चिकानी	17	परहोटी	511	277
कुल					**36600**	**2113**

स्रोत: जनगणना 2011

डीएजेजीयूए के साथ-साथ वनबंधु कल्याण योजना, जनजातियों के लिए एक व्यापक योजना (अम्ब्रेला स्कीम) है, के तहत छात्रों को अनुसूचित जनजाति मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रावृत्ति योजना जैसे इसके घटकों के तहत भी लाभान्वित किया जा रहा है।

चंदौली की जनजातीय आबादी को इन योजनाओं से लाभ मिल रहा है। अनुसूचित जनजाति मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 118 छात्रों के खातों में 3.22 लाख रुपये की राशि संवितरित की गई थी। अनुसूचित जनजाति मैट्रिकोत्तर छात्रावृत्ति योजना के तहत, 13 छात्रों के खातों में 3.03 लाख रुपये की राशि संवितरित की गई। विगत वर्षों का ब्यौरा निम्नानुसार है -

उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में वित्तीय वर्ष 2022-23 **से वित्तीय वर्ष** 2024-25 **तक लाभार्थी और जारी की गई निधि का ब्यौरा निम्नानुसार है:**

उत्तर प्रदेश (चंदौली)						
	2022-2023		2023-2024*		2024-2025*	
योजना का नाम	**लाभार्थी**	**राशि रुपये में**	**लाभार्थी**	**राशि रुपये में ***	**लाभार्थी**	**राशि रुपये में ***
मैट्रिकोत्तर	34	823149	329	3207092	38	614901
मैट्रिक-पूर्व	एनए	एनए	146	377025	एनए	एनए

अनंतिम (पी)

नोटः- इस मंत्रालय के डीबीटी जनजातीय पोर्टल पर 03.02.2026 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के आधार पर।

इसके अलावा, चंदौली की जनजातीय आबादी को डीएजेजीयूए योजना का लाभ मिल रहा है।
डीएजेजीयूए के तहत उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में विकास कार्यों की स्थिति नीचे दी गई हैः

जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत, अनुसूचित जनजाति (एसटी) बस्तियों पर विशेष जोर देते हुए, कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डीए-जेजीयूए गांवों में केंद्रित उपाय किए गए हैं। इन उपायों में गाँव में (इन विलेज) जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना, कवर नहीं किए गए घरों में नल के पानी के कनेक्शन का प्रावधान, पानी की गुणवत्ता की निगरानी और अंतिम छोर तक के अंतरों (कमी) को दूर करने के लिए राज्य और जिला एजेंसियों के साथ अभिसरण (समन्वय) शामिल है। इन लक्षित प्रयासों के परिणामस्वरूप, चिन्हित गावों में से अधिकांश ने 100% घरेलू नल जल कवरेज प्राप्त कर लिया है, जिससे जनजातीय क्षेत्रों में सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल तक बेहतर पहुंच में सहायता मिली है।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) के मौजूदा मानदंडों के अनुसार, डीए-जेजीयूए अभियान के तहत शुरु किए गए उपाय/योजनाएं निम्नानुसार हैं:

i) निधि साझाकरण (फंड शेयरिंग) पैटर्न अपरिवर्तित रहता है, अर्थात् केंद्र और राज्यों के बीच 50:50; पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों/विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 90:10; और बिना विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषण।

ii) जेजेएम मानदंडों के अनुसार, कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के माध्यम से ऐसे सभी गांवों के संतृप्ति कवरेज के साथ 20 से अधिक घरों वाली बस्तियों में सभी घरों को नल के पानी की आपूर्ति प्रदान की जाती है। 20 से कम घरों वाली बस्तियों के लिए, सामुदायिक नल के पानी के कनेक्शन का प्रावधान किया गया है।

चंदौली जिले में डीजीजेयूए के तहत जेजेएम के संबंध में ब्यौरा

क्र.सं.	**जिला**	**डीए-जेजीयूए गांवों की संख्या**	**संतृप्त गांवों की संख्या (100% नल कनेक्शन)**	**परिवारों (घरों) की कुल संख्या**	**नल के पानी के कनेक्शन वाले घरों की संख्या**
1	चंदौली	17	15	6,716	6,603

चंदौली जिले में डीजीजेयूए के तहत चिन्हित 15 संतृप्त गांवों (17 में से) की सूची।

क्र.सं.	**गांव का नाम**	**गांव का एलजीडी कोड**	**ग्राम पंचायत का नाम**	**परिवारों की कुल संख्या (आज की तारीख के अनुसार)**	**कनेक्शन वाले कुल घरों की संख्या (संतृप्त) (आज की तारीख तक)**
1.	अगस्तीपुर	206842	अगस्तिपुर	438	438
2.	अमिलाई	206935	अमिलाई	542	542
3.	केशवपुर	206908	बछौली	59	59
4.	भलेहटा	206903	भलेहटा	523	523
5.	बंशीपुर	206917	बिशुनपुरा	126	126
6.	चहनिया	206874	चहनिया	204	204

7.	महरुआरा	206955	महरुआरा	337	337
8.	मझिलेपुर	206831	मझिलेपुर	287	287
9.	रमौली	206910	रमौली	436	436
10.	रामगढ़	206821	रामगढ़	1158	1158
11.	भीखापुर	206973	रौना	76	76
12.	सिकरौरा कलां	206947	सिकरौरा कलां	128	128
13.	टांडा कलां	206843	टांडा कलां	943	943
14.	जुरा हराधन	206853	ज़ुरा हराधन	1072	1072
15.	नोनावत	208322	देवरीकलां	116	116

दूरसंचार विभाग के अंतर्गत, डीए-जेजीयूए के तहत उपाय, मोबाइल और ब्रॉडबैंड बुनियादी ढांचे के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के माध्यम से चिन्हित गांवों में दूरसंचार और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार पर केंद्रित है।

चंदौली जिले में डीएजेजीयूए के तहत 4जी कनेक्टिविटी उपाय की स्थिति (दूरसंचार विभाग):

चंदौली जिले में, डीएजेजीयूए के तहत 4जी कनेक्टिविटी वर्तमान में क्रियान्वित (लागू) की जा रही है। नोनावत और परहोटी गांवों में दूरसंचार विभाग (डीओटी) का उपाय पूरा हो चुका है, जबकि शेष गांवों में कनेक्टिविटी को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है।

दूरसंचार विभाग द्वारा चंदौली जिले में डीजीजेयूए के तहत क्रियान्वित (लागू) सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) उपाय के संबंध में ब्यौरा

राज्य का नाम	जिला का नाम	ब्लॉक_नाम	जीपी_नाम	गांव का नाम	अंतिम डीबीएन टिप्पणी
उत्तर प्रदेश	चंदौली	नौगढ़	देवरी कलां	नोनवत	यूएसओ* की योजना बनाई गई
उत्तर प्रदेश	चंदौली	नौगढ़	चिकनी	परहोटी	यूएसओ की योजना बनाई गई

*सार्वभौमिक सेवा दायित्व

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण (पीएमएवाई-जी):

पीएमएवाई-जी भारत सरकार का एक प्रमुख ग्रामीण आवास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य उन पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के मकान उपलब्ध कराना है जो बेघर हैं या कच्चे/जीर्ण-शीर्ण घरों में रह रहे हैं। नवीनतम चरण (वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29) के तहत योजना को लगभग 2 करोड़ और घरों के निर्माण के लिए विस्तारित किया गया है और इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में निरंतर सहायता की जा रही है जो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। लाभार्थियों की पहचान अद्यतन आवास + सर्वेक्षण/एसईसीसी मानदंडों के माध्यम से की जाती है, और घरों को न्यूनतम विनिर्देशों (उदाहरणतः ~ 25 वर्ग मीटर एक स्वच्छ खाना पकाने की जगह और बुनियादी सेवाओं के साथ) को पूरा करना चाहिए। यह कार्यक्रम पूर्ण और सम्मानजनक जीवन स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए श्रम सहायता हेतु मनरेगा और शौचालयों के लिए स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण जैसी योजनाओं के साथ अभिसरण को भी बढ़ावा देता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी): एमएवाई-जी डैशबोर्ड के अनुसार 1 अप्रैल 2015 से 29.01.2026 तक **जिला चंदौली में अनुसूचित जनजाति (अजजा) श्रेणी की ब्लॉक-वार संचयी प्रगति** नीचे दी गई है -

क्र.सं.	**ब्लॉक का नाम**	**पंजीकृत परिवारों (घरों) की संख्या (अजजा)**	**स्वीकृत घरों (मकानों) की संख्या (अजजा)**	**पूर्ण घरों (मकानों) की संख्या (अजजा)**
1	बरहनी	23	23	23
2	चहनिया	19	19	19
3	चकिया	37	37	37
4	चंदौली	19	19	19
5	धानापुर	16	16	16
6	नौगढ़	9	9	9
7	नियामताबाद	5	5	5
8	साहबगंज	33	33	33
9	सकलडीहा	15	15	15
	कुल	**176**	**176**	**176**

स्रोत: https://pmayg.dord.gov.in/netiayHome/home.aspx

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई):

पीएमजीएसवाई पूरे भारत में असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम (बारह मासी) सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए 2000 में शुरू की गई एक प्रमुख ग्रामीण बुनियादी ढांचा पहल है। नवीनतम चरण पीएमजीएसवाई-IV (वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29) के तहत, यह योजना 25,000 पात्र असंबद्ध बस्तियों को जोड़ने और 70,000 करोड़ रुपये से अधिक के कुल बजट के साथ आवश्यक पुलों सहित लगभग 62,500 किलोमीटर नई सभी मौसम (बारह मासी) (ऑल-वेदर) सड़कों के निर्माण पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवहन अवसंरचना को सुदृढ़ करके बाजारों, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार तक पहुंच में सुधार करना है। यह कार्यक्रम गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक तकनीक और मजबूत निगरानी प्रणालियों का उपयोग करता है।

अब तक (आज की तारीख तक), उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में पीएमजीएसवाई के विभिन्न उपायों/वर्टिकल्स के तहत 1030.455 किलोमीटर लंबी सड़क के 277 सड़क कार्यों को संस्वीकृति दी गई है और ये सभी कार्य पूरे हो चुके हैं।

पीएमएजी (वाई) और पीएमजीएसवाई के लिए, डीए-जेजीयूए के तहत उपाय की प्रकृति आवश्यक सेवाओं और आजीविकाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए जनजातीय और दूरदराज की बस्तियों में बुनियादी आवास और सभी मौसम (बारह मासी) सड़क संपर्क में सुधार पर केंद्रित है। दोनों योजनाओं के तहत, अनुसूचित जनजाति (एसटी) लाभार्थियों के लिए विशिष्ट छूट/शिथिलता प्रदान की गई है, जिसमें संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, छूट योग्य मानदंडों, अजजा बस्तियों का प्राथमिकता कवरेज और जनजातीय और कठिन क्षेत्रों में जनसंख्या प्रभाव सीमा में लचीलापन शामिल है।

(ग) और (घ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत, इस योजना का उद्देश्य जल संरक्षण, भूमि विकास, ग्रामीण संपर्क और आजीविका वृद्धि से संबंधित टिकाऊ परिसंपत्तियों के सृजन के माध्यम से गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण परिवारों, विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति (एसटी) परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। डीए-जेजीयूए के तहत, मनरेगा उपायों के केंद्रित कार्यान्वयन से जनजातीय और दूरदराज के क्षेत्रों में रोजगार सृजन और आय सुरक्षा में सहायता मिलती है।
अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी-वार परिवार और श्रमिक का विवरण, कुल व्यक्तिगत श्रम दिवसों के अनुसार अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का व्यक्तिगत श्रम दिवसों का % और पिछले वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 (02.02.2026 तक) के दौरान महात्मा गांधी एनआरईजीएस के तहत उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी के लिए सृजित रोजगार का विवरण नीचे दिया गया हैः

चंदौली जिले में अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी-वार परिवार और श्रमिकों का ब्यौरा

(सं.)

राज्य/जिला	वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2024-25		वित्तीय वर्ष 2025-26 (3.2.26 तक)	
	पंजीकृत श्रमिक	सक्रिय श्रमिक *	पंजीकृत श्रमिक	सक्रिय श्रमिक *	पंजीकृत श्रमिक	सक्रिय श्रमिक *
चंदौली जिला	1583	1106	1583	1106	1583	1106

स्रोत: - https://nrega.dord.gov.in/

सक्रिय जॉब कार्डः उन परिवारों के कोई भी व्यक्ति जिन्होंने पिछले तीन वित्तीय वर्ष या वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसी एक दिन काम किया हो।

चंदौली जिले में अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी के लिए सृजित रोजगार का ब्यौरा

वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2025-2026	वित्तीय वर्ष 2024-2025	वित्तीय वर्ष 2023-2024	वित्तीय वर्ष 2022-2023	वित्तीय वर्ष 2021-2022	वित्तीय वर्ष 2020-2021
कुल व्यक्तिगत श्रम दिवसों के अनुसार अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का व्यक्तिगत श्रम दिवसों का %	0.47	0.57	0.53	0.58	0.57	0.46

चंदौली जिले में अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी के लिए सृजित रोजगार का ब्यौरा

राज्य/ जिला	वित्तीय वर्ष 2023-24					वित्तीय वर्ष 2024-25					वित्तीय वर्ष 2025-26				
	जॉब कार्ड जारी किए परिवार	रोजगार प्रदान किए गए परिवारों की संख्या	रोजगार दिए गए श्रमिकों की संख्या	सृजित व्यक्ति-दिवसों की संख्या	परिवारों ने 100 दिन पूरे किए	जॉब कार्ड जारी किए परिवार	रोजगार प्रदान किए गए परिवारों की संख्या	रोजगार दिए गए श्रमिकों की संख्या	सृजित व्यक्ति-दिवसों की संख्या	परिवारों ने 100 दिन पूरे किए	जॉब कार्ड जारी किए परिवार	रोजगार प्रदान किए गए परिवारों की संख्या	रोजगार दिए गए श्रमिकों की संख्या	सृजित व्यक्ति-दिवसों की संख्या	परिवारों ने 100 दिन पूरे किए
चंदौली	809	518	725	27164	24	977	590	817	37687	83	1082	562	769	30332	13

स्रोत: - https://nrega.dord.gov.in/

इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपनी दो एजेंसियों नामतः भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के माध्यम से जनजातीय समुदायों के बीच रोजगार सृजन, उद्यमिता सहित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

ट्राइफेड देश भर में जनजातीय समुदायों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए राज्य नोडल विभागों और राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से पीएमजेवीएम योजना को क्रियान्वित (लागू) कर रहा है और पीएम जनमान योजना के तहत वीडीवीके की स्थापना कर रहा है। अब तक, देश भर में पीएमजेवीएम योजना के तहत 4,125 वीडीवीके को संस्वीकृति दी गई है, जिसमें 12.33 लाख सदस्य शामिल हैं और पीएम जनमन योजना के तहत 539 वीडीवीके को संस्वीकृति दी गई है, जिसमें 0.46 लाख सदस्य शामिल हैं। पीएमजेवीएम योजना के तहत, उत्तर प्रदेश राज्य में 195 लाख रुपये की संस्वीकृत राशि के साथ कुल 13 वीडीवीके को संस्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, पीएम जनमन योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में 15.95 लाख रुपये की संस्वीकृत राशि के साथ 5 वीडीवीके को संस्वीकृति दी गई है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से ट्राइफेड द्वारा संस्वीकृति के लिए प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), पात्र अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आय सृजन गतिविधियों को शुरू करने के लिए/स्वरोजगार के लिए रियायती ऋण प्रदान करके ऋण लिंकेज प्रदान करता है, जिससे उनमें उद्यमशीलता की भावना पैदा होती है। एनएसटीएफडीसी की प्रमुख योजनाएं सावधि ऋण योजना, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई), स्वयं सहायता समूहों के लिए लघु ऋण योजना (एमसीएफ) और आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एएसआरवाई) हैं।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (संक्षेप में एफआरए) और नियमों के अनुसार, राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत मासिक प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। 2012 के संशोधित नियमों के साथ-साथ अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन के माध्यम से लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। वन अधिकार योजना के तहत, चंदौली जिले में 89 व्यक्तिगत दावों और 18 सामुदायिक दावों के लिए स्वामित्व आधिकार पत्र (शीर्षक) वितरित किए गए हैं। एफआरए किसानों के लिए डीएजेजीयूए के तहत दावा करने के बाद एफआरए समर्थन की परिकल्पना की गई है।

31.12.2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में एफआरए कार्यान्वयन की जानकारीः

क्र.सं.	मद	व्यक्तिगत	समुदाय	कुल
1.	वितरित स्वामित्व अधिकार पत्रों (शीर्षकों) की संख्या	22,537	893	23,430

नोट: राज्य सरकार ने उस वन की ज़मीन की उस सीमा (क्षेत्र) के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है जिसके लिए स्वामित्व अधिकार पत्र (शीर्षक) बांटे गए हैं।

31.12.2025 को एफआरए कार्यान्वयन की चंदौली जिले-वार स्थितिः

क्र.सं.	मद	व्यक्तिगत	समुदाय	कुल
1.	वितरित स्वामित्व अधिकार पत्रों (शीर्षकों) की संख्या	89	18	107

इसके अलावा, भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं के तहत कौशल विकास केंद्रों के एक व्यापक नेटवर्क जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के द्वारा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के माध्यम से अजजा सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनः बेहतर कौशल और उन्नत कौशल (री-स्किल और अप-स्किल) प्रशिक्षण प्रदान करता है। 31 दिसंबर, 2025 को एसआईडीएच की रिपोर्ट के अनुसार, पीएमकेवीवाई और पीएम विश्वकर्मा के तहत अनुसूचित जनजाति (अजजा) प्रशिक्षण/अभिविन्यास पर अद्यतन जानकारी नीचे प्रदान की गई हैः

31 दिसंबर, 2025 को एसआईडीएच की रिपोर्ट के अनुसार, पीएमकेवीवाई के तहत अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के प्रशिक्षण/अभिविन्यास (उन्मुख) पर अद्यतन जानकारी	
वित्तीय वर्ष	प्रशिक्षित / उन्मुख (अभिविन्यास)
वित्तीय वर्ष-15-16	68,394
वित्तीय वर्ष -16-17	23,525
वित्तीय वर्ष -17-18	72,010
वित्तीय वर्ष -18-19	81,924
वित्तीय वर्ष -19-20	208,756
वित्तीय वर्ष -20-21	131,500
वित्तीय वर्ष -21-22	51,624
वित्तीय वर्ष -22-23	18,282
वित्तीय वर्ष -23-24	40,585
वित्तीय वर्ष -24-25	109,453
वित्तीय वर्ष -25-26	7,304
कुल	813,357

31-दिसंबर-25 तक एसआईडीएच रिपोर्टों के अनुसार, पीएम विश्वकर्मा (आधारभूत कौशल) के तहत अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रमाणन पर अद्यतन जानकारी नीचे दी गई हैः

31- दिसम्बर-25 तक एसआईडीएच रिपोर्ट के अनुसार, पीएम विश्वकर्मा (आधारभूत कौशल) के तहत अनुसूचित जनजाति प्रमाणन पर (एसटी)अद्यतन जानकारी	
वित्तीय वर्ष	प्रमाणित
वित्तीय वर्ष 23-24	14,560
वित्तीय वर्ष 24-25	154,025
वित्तीय वर्ष -25-26	15,525
कुल	184,110

(ङ): जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार केंद्र प्रायोजित योजना 'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता (टीआरआईएस)' के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 29 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआईएस) को

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना के आधार पर जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति के अनुमोदन के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के तहत आजीविका, उद्यमिता, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचागत जरूरतों, अनुसंधान और प्रलेखन गतिविधियों, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्तावों पर जोर दिया जाता है। जनजातीय त्योहारों, यात्राओं, पर्यटन और जनजातियों द्वारा आदान-प्रदान यात्राओं का आयोजन किया जाता है ताकि उनकी सांस्कृतिक प्रथाओं (पद्धतियों), भाषाओं और रीति-रिवाजों को संरक्षित और प्रसारित किया जा सके। टीआरआईएस मुख्य रूप से राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत संस्थान हैं। जनजातीय अनुसंधान संस्थान (संस्थान), संबंधित राज्य जनजातीय कल्याण विभाग के माध्यम से बजटीय आवश्यकता के साथ मंत्रालय को वार्षिक विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करते हैं। राज्य सरकार को आवश्यकता के आधार पर और सचिव, जनजातीय कार्य की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति के अनुमोदन से निधियां संस्वीकृत की जाती हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में जनजातीय संस्कृति, विरासत, परंपरा और रीति-रिवाजों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। मंत्रालय "जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता" और "जनजातीय अनुसंधान, सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम" की योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है, जिसके तहत जनजातीय समुदायों की जनजातीय संस्कृति, विरासत, अभिलेखागार, कलाकृतियों, रीति-रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न गतिविधियाँ की जाती हैं। लखनऊ, उत्तर प्रदेश में एक जनजातीय अनुसंधान संस्थान और दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान सहित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 29 जनजातीय अनुसंधान संस्थान हैं।

टीआरआई, लखनऊ जनजातीय सांस्कृतिक संग्रहालय, जनजातीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन, विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन आदि के माध्यम से जनजातीय संस्कृति, परंपरा और रीति-रिवाजों के संरक्षण के लिए लगातार कार्य कर रहा है। टीआरआई, लखनऊ जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली के संरक्षण के लिए राज्य स्तर पर और राज्य के बाहर जनजातीय त्योहारों का आयोजन करता है।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में, आदि कर्मयोगी अभियान द्वारा जनजातीय-आबादी वाले गांवों में जमीनी स्तर की योजना, समस्या की पहचान और सेवाओं के अभिसरण को सक्षम करने के लिए मुख्य सहभागी साधनों के रूप में ग्राम कार्यशालाओं, ट्रांससेक्ट वॉक और ग्राम कार्य योजनाओं (वीएपी) की तैयारी की परिकल्पना की गई। आदि कर्मयोगी अभियान पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 30 से अधिक आदि साथी एवं आदि सहयोगी के जुटाव और 20 से अधिक आदि सेवा केंद्रों के मानचित्रण के साथ 401 गांवों को कवर किया गया। चंदौली जिले में, अभियान के तहत स्थानीय जरूरतों को व्यवस्थित रूप से अभिग्रहण करने, उन्हें कार्रवाई योग्य वीएपी में परिवर्तित और अजजा परिवारों के लिए अंतिम-मील प्रशासनिक परिणामों को सुदृढ़ करने के लिए समुदाय के नेतृत्व वाली ग्राम कार्यशालाएं और ट्रांससेक्ट वॉक आयोजित किए गए।

*****